न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 318/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/347**
दायर दिनांक :– 28.12.2023 **निर्णय दिनांक :– 21.10.2024**

प्रार्थी
मगसिंह पुत्र लूणसिंह
जाति राजपूत निवासी करणीनगर,
खिदरत तहसील बाप

बनाम

अप्रार्थीगण
1. भगवानदास पुत्र मोहनलाल
   जाति माहेश्वरी
   निवासी ओसियां
   तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
2. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल
   जाति सोनी नि. ओसियां
   तह. ओसियां जिला जोधपुर
3. पुष्पादेवी पत्नी राधेश्याम
   पुत्री टीकमचन्द जाति
   कुमावत निवासी फलोदी
   हाल मण्डाल चारणान
   त. कोलायत जिला बीकानेर
4. हरीसिंह पुत्र लूणसिंह
5. नरतपसिंह पुत्र लूणसिंह
6. अर्जुनसिंह पुत्र लूणसिंह
   जाति राजपूत
   निवासी करणीनगर, खिदरत
   तहसील बाप जिला फलोदी
7. श्रीमान तहसीलदार, बाप
8. साबूदेवी पत्नी श्रवणराम
9. पार्वती पत्नी मुकेश
   सर्वजाति जाट निवासी हरसोलाव
   तहसील मेड़ता जिला नागौर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री सिकन्दर खांन मंगलिया अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 8 व 9

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है [illegible] वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक [illegible] है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना [illegible] नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:04 IST
Reason: SelfAttested

21.10.24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान नवसृजित ग्राम करणीनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 221 कुल रकबा 200–00 बीघा काश्त भूमि स्थित है। जिसे वाद में आगे **वादग्रस्त भूमि** से सम्बोधित किया जायेगा। वर्तमान जमाबंदी संवत 2077 से 2080 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 के पिता लूणसिंह पुत्र जोरसिंह व अन्य खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसमें लूणसिंह पुत्र जोरसिंह का 1/2 हिस्सा था। लूणसिंह पुत्र जोरसिंह फौत हो चुके है जिनकी वंशावली निम्नानुसार है :–

लूणसिंह पुत्र जोरसिंह (फौत)

हरिसिंह पुत्र | मगसिंह पुत्र | नरपतसिंह पुत्र | अर्जुनसिंह पुत्र

उपरोक्त वंशवाली अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा बनता है। प्रार्थी का अपने पैतृिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने पैतृिक हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान ग्राम करणीनगर तहसील बाप के खसरा नम्बर 221 कुल रकबा 200–00 बीघा भूमि में से प्रार्थी के पिता लूणसिंह पुत्र जोरसिंह ने रकबा 100–00 बीघा काश्त भूमि का बैचान कल्याणसिंह पुत्र नेनूसिंह को नहीं किया था और न ही प्रार्थी के पिता लूणसिंह विक्रय पत्र निष्पादित करवाने हेतु उप पंजीयक कार्यालय ही गये थे और न ही ऐसा कोई बैचान का दस्तावेज प्रभाव में ही है। लेकिन फिर भी सरासर गलत रूप से कल्याणसिंह ने पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रार्थी के पिता लूणसिंह के हिस्से की भूमि में बैचान का नामान्तरकरण सं. 170 मौजा कानसिंह की सिड भरवा कर अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया। पटवारी हल्का ने सरासर गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में खाता अलग कायम कर दिया जिसके खसरा नम्बर 221/2 रकबा 100–00 बीघा है। उक्त भूमि में मौके पर कभी भी कल्याणसिंह की कब्जा व काश्त नहीं रहा। उक्त रकबा 100 बीघा भूमि पर लूणसिंह का अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जा व काश्त रहा तथा वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 का कबज व काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता लूणसिंह ने ऐसा कोई भी बैचान कल्याणसिंह के पक्ष में नहीं किया था और न ही ऐसा कोई बैचाननामा प्रभाव में ही है तथा न ही प्रार्थी के पिता लूणसिंह ने ऐसा कोई बैचाननामा पंजीबद्ध ही करवाया था। इसलिये प्रार्थी नामान्तरकरण सं. 170 मौजा कानसिंह की सिड को निरस्त करवा कर ग्राम करणीनगर पटवार हल्का [illegible] की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 221/2 रकबा [illegible] 1/8 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद [illegible] पेश है। कल्याणसिंह ने गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए अपने [illegible] उक्त काश्त भूमि रकबा 100–00 बीघा का कागजी बैचान चिमनसिंह पुत्र अलसीसिंह को कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:04 IST
Reason: SelfAttested

24.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

302 मौजा खिदरत चिमनसिंह के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ और उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए चिमनसिंह के द्वारा उक्त भूमि रकबा 100–00 बीघा भूमि में से रकबा 25–00 बीघा भूमि का बैचान अप्रार्थी सं. 3 को मात्र कागजी बैचान कर दिया और उक्त कागजी बैचान के आधर पर नामान्तरकरण सं. 09 मौजा करणीनगर अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 का खाता राजस्व रेकर्ड में अलग कायम कर दिया जिसके खसरा नम्बर 221/3 रकबा 25–00 बीघा भूमि है। उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए चिमनसिंह के द्वारा शेष रही रकबा 75–00 बीघा भूमि का बैचान विशनकंवर पत्नी पुजराजसिंह को मात्र कागजी बैचान कर दिया और उक्त कागजी बैचान के आधर पर नामान्तरकरण सं. 14 मौजा करणीनगर विशनकंवर के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए तत्कालिन खातेदार विशनकंवर पत्नी पूंजराजसिंह के द्वारा अपने नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमि रकबा 75–00 बीघा का बैचान सरासर गलत तरीके से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को का दिया और उक्त कागजी बैचान के आधार पर नामान्तरकरण सं. 18 मौजा करणीनगर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ। जबकि पूर्व खातेदार कल्याणसिंह के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि सरासर गलत रूप से दर्ज हुई थी और कल्याणसिंह को उक्त वादग्रस्त भूमि का आगे बैचान करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं था उक्त बैचाननामे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुरू से शुन्य व बेअसर एवं प्रभावहीन है। पूर्व खातेदार कल्याणसिंह पुत्र नेनूसिंह, चिमनसिंह पुत्र अलसीसिंह तथा विशनकंवर पत्नी पूंजराजसिंह का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं था और न ही वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा व काश्त ही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के पक्ष में सरासर गलत रूप से किये गये विक्रय पत्रों को प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं बेअसर घोषित करवाकर उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण सं. 170 मौजा कानसिंह की सिड, नामान्तरकरण सं. 302 मौजा खिदरत, नामान्तरकरण सं. 09, 14, 18 मौजा करणीनगर को निरस्त करवाकर ग्राम करणीनगर पटवार हल्का कानसिहं की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 221/2 रकबा 100–00 बीघा भूमि में अपने 1/8 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अभी दिनांक 20/12/2023 को प्रार्थी अपने पैतृक हिस्से की भूमि की सार संभाल कर रहा था कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 प्रार्थी के हिस्से की भूमि में आये और प्रार्थी को धमकी दी की उक्त सम्पूर्ण भूमि को हमने खरीद ली है और उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज नहीं है इसलिये तुम उक्त भूमि को खाली करदो नहीं तो हम जोर जबरदस्ती तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। उस दिन तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को समझा बुझा कर निकाल [illegible] अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 प्रार्थी को धमकी देकर गये की आइन्दा पुनः आकर हम तुम्हे उक्त भूमि से बे[illegible] कर[illegible]। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु [illegible] प्रयत्नशील है अ[illegible]र्थीगण सं. 1 ता 3 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं [illegible] जा सकता है। प्रार्थी असमर्थ एवं निर्धन तथा गरीब व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 साधन सम्पन एवं प्रभावशाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:04 IST
Reason: SelfAttested

२४·१०·२४
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

लोग है जिनका मुकाबला करने प्रार्थी में आसमर्थ है इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को जरिये कूनन रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम करणीनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 221/2 रकबा 75–00 बीघा (12.1406 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 221/3 रकबा 25–00 बीघा (4.0469 हैक्टेयर) भूमि में प्रार्थी के अपने हिस्से की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 8 व 9 की ओर से सिकन्दर खांन मंगलिया ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नामान्तरकरण संख्या 9, 18 मौजा करणीनगर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 221/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 221/3 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के खरीद की जो नामान्तरकरण संख्या 9, 18 के जरिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 8 व 9 ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 19.10.2023 को कय कर ली है [illegible] जो विकय पत्र की चित्र प्रति से साबित है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में [illegible] अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में [illegible] की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी, बाप, जिला फलोदी

21.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:04 IST
Reason: SelfAttested

है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी की दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.12.2023 खारिज की जाती है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी * बाप, जिला फलोदी (राज.)